न्यायालय संभागीय ...

A3/1

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00154

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 47/2019

1. वन्दना गौड़ पत्नी श्री राहुल शर्मा पुत्री श्रीमती कलावती शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर 21 पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. अजयपाल पुत्र राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्द जाति ब्राहम्ण निवासी गली नम्बर 7 चक 7 जैड गुरूतेगबहादुर नगर श्रीगंगानगर।
2. धिरेन्द्र कुमार पुत्र राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्द जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 18 पावन धाम मन्दिर के पास सदभावना नगर रोड़, श्रीगंगानगर।
3. राधारानी पत्नी राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्द जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 10 खेत्रपाल मन्दिर के पास पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4. सुभद्रा पुत्री राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्द पत्नी कृष्ण कुमार इन्दोरिया जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 20 भादरा जिला हनुमानगढ।
5. सुन्दर पत्नी महावीर प्रसाद शर्मा पुत्री राधा कृष्ण उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 02, खीचड़ांन वास सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. रज्जो उर्फ सन्तोष पत्नी हीरालाल इन्दोरिया पुत्री राधा कृष्ण उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विधालय के पास वार्ड नम्बर 02,फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. नीलम पत्नी दयाराम शार्मा पुत्री राधा कृष्ण उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी गली नम्बर 22 वार्ड नम्बर 26, हनुमानगढ टाउन।
8. अन्नपूर्णा पत्नी गोविन्द राम पुत्री राधा कृष्ण उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 05, कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास अठुणाबास, उदरामसर बीकानेर।

   8/1 –धनजय शर्मा पुत्र गोविन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 5, कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास , अठुणाबास, उदरामसर, बीकानेर।

   8/2 –गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र बृजलाल पुरोति जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 05, कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास , अठुणाबास, उदरामसर, बीकानेर।
9. विक्रम शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्रहाम्ण निवासी 48 मधुवन कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
10. विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी 2 ई, 304 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर।
11. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोरधन जाति ब्राहम्ण निवासी 48 मधुवन कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
12. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 20.09.2012 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर जिसकी रूह से इन्तकाल संख्या 299 तस्दीक किया गया मन्सूखी बाबत।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

7–नीलम पत्नी दयाराम शर्मा पुत्री राधा कृष्ण उर्फ देवकी नन्दन जाति ...

A3/2

उपस्थित :
1. श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

::आदेश:: दिनांक : 31.05.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आश्य के साथ प्रस्तुत किया कि उनके पिता राधाकृष्ण उर्फ देवीनन्दन पुत्र रिछपाल सिंह के नाम से प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/38 के मुरब्बा नम्बर 26 में 3.161 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 34 में 1.177 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि कुल 4.338 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज थी। जिसकी वसीयत दिनांक 17.02.1995 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में की हुई है एवं रेस्पोडेन्ट के पिता राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन का देहान्त 07.04.1995 को हो चुका है, इसलिये वसीयत के मुताबिक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 27.07.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 20.09.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 20.09.2012 को बिना किसी अन्य वारिस को सुने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्व अपीलार्थिया निम्न आधरों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

1. यह कि अपीलधीन निर्णय विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन के किसी भी वारिस को नोटिस जारी नहीं किये और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया।
3. यह कि राधाकृष्ण उर्फ देवकीनन्दन की पुत्री कलावती देवी की मृत्यु दिनांक 12.06.2008 को हो चुकी थी, जिन तथ्यों का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को भली भांति ज्ञान था, परन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा मृतक कलावती के वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा ना ही वारिसान को कोई नोटिस जारी किये गये। इसलिये अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जालसाजी कर कलावती देवी के वारिसान अर्थात अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर आदेश पारित करवा लिया। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेनट संख्या 1 व 2 के विरुद्व फौजदारी कार्यवाही भी की जा रही है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय अपास्त होने योग्य है।
5. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन की फर्जी वसीयत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी, जबकि राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन वसीयत करने के लिये स्वस्थचित था इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

7- आलम पत्नी दयाराम शर्मा पुत्री राधा कृष्ण

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो वसीयत की जांच की गई और ना ही तथाकथित वसीयत के गवाहान को तलब कर वसीयत की सत्यता के सम्बन्धमें उनकी साक्ष्य करवाई गई जबकि वसीयत को साबित करने के लिये गवाहान को साक्ष्य के लिये तलब किया जाना न्यायोचित था।
7. यह कि अपीलांट राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन की लड़की मृतक कलावती देवी की पुत्री है इसलिये माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी है।
8. यह कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया इस सम्बन्ध में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
9. यह कि अपीलांट को पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2012 की जानकारी नही थी। सर्वप्रथम आदेश की जानकारी अपीलांट को राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील अनवानी वन्दना गौड़ बनाम सरकार से तब हुई, जब रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 96 सीपीसी का जवाब राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन अपील में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर नकल वाद तैयार दिनांक 22.11.2019 को अपीलांट को प्राप्त होने पर बिना किसी देरी श्रीमान जी के समक्ष अपील पेश की जा रही है। अपील इल्म से अन्दर मियाद है। अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
10. यह कि अन्य कानूनी व वाकेआती तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें।
11. यह कि अपील इल्म से अन्दर मियाद है। श्रीमान जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

लिहाजा अपील अपीलार्थिया प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थिया स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2012 व इन्तकाल को निरस्त फरमाया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

हस्तगत अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.04.2020 को प्रस्तुत प्रारम्भिक व कानूनी एतराजात का प्रार्थना पत्र जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि

1. यह कि उपरोक्त अनवानी अपील अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार (भू–अभिलेख) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2012 अनवानी अजयपाल बनाम राधादेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 20.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2012 को प्रस्तुत कर विवादस्पद कृषि भूमि की वसीयत दिनांकित 17.02.1995 को टंकित करवाई जाकर उप–पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 07.04.1995 को पंजीबद्व करवाई गई, के आधार पर कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही संचालित की गई जिस पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

7–आलम पत्नी दयाराम शर्मा पुत्री राधा कृष्ण उर्फ देवकी नन्दन ...
... हनुमानगढ़ टाउन

दैनिक समाचार पत्र दिनांक 04.08.2013 में आम सूचना प्रकाशन किये जाने पर अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 21.08.2012 को प्रकरण में उपस्थित होकर अपने ब्यान लेखबद्व करवाये गये थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दोनो पक्षों की सुनवाई कर बाद साक्ष्य लेखबद्व कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2012 को पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थिया द्वारा उपरोक्त अनवानी अपील अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष बाद उपस्थित आने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयतकर्ता स्व. श्री राधाकृष्ण के समस्त वारिसान को सुनवाई का मौका दिया जाकर तथा समस्त वारिसान को सुनकर मुताबिक वसीयत अपील में वर्णित विवादित कृषि भूमि का अंकन करने हेतु आदेशित किया गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई कर विवादस्पद कृषि भूमि का किसी भी वारिसान की आपत्ति वसीयत पर न होने के आधार पर किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में की गइ विधिक कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि नामान्तरण कार्यवाही का निस्तारण तहसीलदार द्वारा धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की गई शाक्ति का प्रयोग कर किया गया है जिस कारण उक्त चुनौती दिये गये अपीलकृत आदेश की कार्यवाही में पारित किये गये ऐसे आदेश के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकासर निदेशक, भू–अभिलेख को है जिसकी शाक्तियां सम्भागीय आयुक्त / अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त को प्रदान की गई है। इस प्रकार अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण अपील को इसी स्तर पर खारिज की जावें।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 31.05.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य कि आदेश दिनांक 20.09.2012 के विरूद्व अपील जेरकार है, स्विकार है, शेष तथ्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कूटरचित वसीयत तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर गलत आदेश पारित करवाया है।
2. यह कि प्रार्थनापत्र की मद संख्या 2 स्वीकार नही है, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अलावा किसी को अदालत मातहत अर्थात तहसीलदार द्वारा सुना नही गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मिली भगत कर एवंम गलत तरीके से अदालत मातहत से आदेश पारित करवा लिया है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार नहीं है। इस मद में मनघड़न्त तथ्य दर्ज किये गये है और ना ही इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कोई दस्तावेज पेश किये है जिससे साबित होता हो कि अपीलार्थिया अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अलावा किसी को सुना गया हो। इसलिये उक्त अपील को माननीय न्यायालय द्वारा ही सुना जाना है और उक्त अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अतिरिक्त कथन

7–आलम पत्नी दयाराम शर्मा पुत्री राधा कृष्ण ...

A/5

4 यह कि उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया जाना अति आवश्यक है ताकि न्यायालय के सामने सही वस्तुस्थिति

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि तहसीलदार (भू-अभिलेख) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2012 अनवानी अजयपाल बनाम राधादेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 20.09.2012 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2012 को प्रस्तुत कर विवादस्पद कृषि भूमि की वसीयत दिनांकित 17.02.1995 को टंकित करवाई जाकर उप-पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 07.04.1995 को पंजीबद्व करवाई गई। पंजीबद्व वसीयत के आधार पर कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही संचालित की गई है। वसीयत के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु दैनिक समाचार पत्र दिनांक 04.08.2013 में आम सूचना प्रकाशन किये जाने पर अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 21.08.2012 को प्रकरण में उपस्थित होकर अपने ब्यान लेखबद्व करवाये गये थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दोनो पक्षों की सुनवाई कर बाद साक्ष्य लेखबद्व कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2012 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयतकर्ता स्व. श्री राधाकृष्ण के समस्त वारिसान को सुनवाई का मौका दिया जाकर तथा समस्त वारिसान को सुनकर मुताबिक वसीयत अपील में वर्णित विवादित कृषि भूमि का अंकन करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई कर विवादस्पद कृषि भूमि का किसी भी वारिसान की आपत्ति वसीयत पर न होने के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में की गई विधिक कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि नामान्तरण कार्यवाही का निस्तारण तहसीलदार द्वारा धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की गई शाक्ति का प्रयोग कर किया गया है। अपीलकृत आदेश की कार्यवाही में पारित किये गये ऐसे आदेश के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकासर निदेशक, भू-अभिलेख को है जिसकी शाक्तियां सम्भागीय आयुक्त/अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त को प्रदान की गई है। इस प्रकार अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थिया खारिज फरमाई जावें। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 1997 पेज-127 ,आर आर टी 2018-19 (Supp) आर.आर.टी.424 पेज 424-426, एवं आर आर टी मार्च, 2016(1) पेज 726-728 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थिया इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावें।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा वसीयत की सुनवाई के आधार पर पारित आदेश दिनांक 20.09.2012 जो पारित किया गया है उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अलावा किसी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

को भी सुना नही गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मिली भगत कर एवम गलत आशके से अदालत मातहत से आदेश पारित करवाया है क्योंकि REGIONAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY JODHPUR, RAJASTHAN की Report no. RFSL/JDR/DIV/QD/120/ FE Date :21-03-2022 के अनुसार श्रीमती वन्दना के हस्ताक्षर युक्त जो हलफनामा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रकरण संख्या 90/2012 अनवानी अजयपाल वगैरा बनाम श्री राधादेवी वगैरा व स्टेट में जो 10/-- रूपये के शपथ पत्र पर वन्दना के हस्ताक्षर करवाकर हलफनामा पेश किया गया है उस पर हस्ताक्षर भिन्न पाये गये है जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त शपथ पत्र की आड में किसी अन्य को पेश कर उक्त हलफनामा पेश किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलार्थिया को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त वसीयत प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व सुना नही गया है। फहरिस्त दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति रेस्पोडेन्ट के पिता राधाकृष्ण उर्फ देवकीनन्दन का मृत्यु प्रमाण पत्र जो रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु, श्रीगंगानगर से दिनांक 03.03.2006 को जारी किया गया है में पिता का नाम रिछपाल शर्मा अंकित है एवं एक अन्य फोटो प्रति में पिता का नाम हेमराम अंकित है जिससे यह प्रमाणित होता है कि रेस्पोडेन्टस स्वच्छ भावना से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुऐ है। अपील अपीलांट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलार्थिया ने अपने तर्क के समर्थन में 2021(2) डीएनजे (रेवन्यू) पेज–901, 2021(1) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज–235, 2021(1) डीएनजे (राज) पेज–238, 2022 आरबीजे पेज–763, 2021 आरबीजे (एससी) पेज–231 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थिया स्वीकार फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा वसीयत की सुनवाई के आधार पर दिनांक 20.09.2012 जो आदेश पारित किया गया है उसमें REGIONAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY JODHPUR, RAJASTHAN की Report no. RFSL/JDR/DIV/QD/120/ FE Date :21-03-2022 के अनुसार श्रीमती वन्दना के हस्ताक्षर युक्त जो हलफनामा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रकरण संख्या 90/2012 अनवानी अजयपाल वगैरा बनाम श्री राधादेवी वगैरा व स्टेट में जो 10/-- रूपये के शपथ पत्र पर वन्दना के हस्ताक्षर करवाकर पेश किया गया है उस पर हस्ताक्षर श्रीमती वन्दना के हस्ताक्षर से भिन्न पाये गये है जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थिया को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त वसीयत प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व सुना नही गया है। अपीलार्थिया श्रीमती वन्दना को सुना नहीं जाना यह साबित करता है कि **मामला 135(2) भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है।** उक्त अपील फहरिस्त दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति रेस्पोडेन्ट के पिता राधाकृष्ण उर्फ देवकीनन्दन का मृत्यु प्रमाण पत्र जो रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु, श्रीगंगानगर से दिनांक 03.03.2006 को जारी किया गया है में पिता का नाम रिछपाल शर्मा अंकित है एवं एक अन्य फोटो प्रति में पिता का नाम हेमराम अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता के नाम में अन्तर होना यह प्रमाणित करता है कि रेस्पोडेन्टस स्वच्छ भावना से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

7–नौलम पत्नी दयाराम शर्मा पुत्री राधा कृष्ण उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राह्मण

है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ...नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिवत् अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)